<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.—336 / 14</u> संस्थापित दिनांक—16.06.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
1— राकेश पुत्र जगदीश आयु—22 वर्ष। 2— जगदीश पुत्र दौलत सिंह उम्र 35 साल 3— पहलवान पुत्र पूरन आयु 36 वर्ष, निवासीगण — ग्राम मढी चंदेरी आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 08.03.2017 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 324/34, 323/34, 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 19.05.2014 को दोपहर करीब 2 बजे ग्राम मढी अन्तर्गत थाना चंदेरी में फरियादिया श्रीमित विनीताबाई को सार्वजिनक स्थान पर मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आरोपीगण में से किसी ने फरियादिया एवं आहत प्रहलाद को असन एवं भेदन उपकरण जैसे कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने आहत श्रीमित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने आहत श्रीमिती मुन्नीबाई को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपीगण राकेश, जगदीश, पहलवान को भा.द.वि की धारा 294, 323 / 34, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया विनीताबाई ने अपनी मां मुन्नीबाई, प्रहलाद पांडे के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 19.05.2014 को दोपहर लगभग 2 बजे की बात है वह और उसकी छोटी बहन शौच को गये थे, उन्हें रास्ते में राकेश लोधी ने गालियां दी थी। गाली देने वाली उसने अपने मम्मी-पापा को बता दी थी, तो दोपहर को उसके मम्मी और पापा ने राकेश तथा उसके पिता को समझाने के लिये बुलाये तो उसके साथ पहलवान तीनो उनके घर के सामने आ गये। राकेश कुल्हाडी लिए था, जगदीश और पहलवान लाठी लिए आये, उन्होंने समझाया तो तीनो बुरी-बुरी अश्लील गालियां देने लगे, उन्होंने गाली देने से मना किया तो राकेश ने उसे कुल्हाडी मारी जो दांहिने गाल में लगकर खून निकल आया उसके बाद उसकी मां मुन्नीबाई उसे बचाने लगी तो जगदीश नें लाठी मारी जो कमर में लगी मुंदी चोट आई। इतने में पहलाद पांडे बचाने आया तो उसको राकेश ने कुल्हाडी मार दी सिर में लगकर खून निकल आया। उन्हें पिता सोमसिह, सीताराम, दिवान सिह ने बचाया। जाते समय तीनो आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गये आइन्दा मिले और उनकी रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19.05.2014 को दोपहर करीब 2 बजे ग्राम मढी अन्तर्गत थाना चंदेरी में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने फरियादिया एवं आहत प्रहलाद को असन एवं भेदन उपकरण जैसे कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादिया विनीता अ0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना आज से करीब 2—3 साल पहले की होकर 3—4 बजे की है। घटना दिनांक को वह शौच करने गई थी तो रास्ते में राकेश लोधी से उसकी बातचीत हो गई थी जिसके संबंध में उसने अपने मम्मी

पापा को बताया था तो उसके मम्मी—पाप और वह, राकेश तथा उसके पिता को समझाने के लिये बुलाया तो आरोपीगण के साथ पहलवान सिंह ने उनके घर के सामने आ गया और तीनो आरोपीगण उनके साथ गाली गलौच करने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण से धक्का मुक्की में मुझे चोट आ गई थी। झगडे की आवाज सुनकर उसकी मां तथा प्रहलाद पांडे आ गये जिनके साथ भी आरोपीगण की कहा सुनी एवं धक्का मुक्की हो गई थी, जिससे उन्हें भी हल्की चोट आ गई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस चंदो का इलाज कराने हेतु चंदेरी सरकारी अस्पताल भेजा था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादिया विनीताबाई अ0सा1 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राकेश कुल्हाड़ी लिये हुए था। इस बात से भी इंकार किया कि जगदीश और पहलवान लाठी लिये हुए थे। इस बात से भी इंकार किया कि राकेश ने उसे कुल्हाड़ी मारी थी जो उसके दांहिने गाल पर लगकर खून निकल आया। इस बात से भी इंकार किया कि उसकी मां मुझे बचाने लगी तो उनको जगदीश ने लाठी मारी, मुंदी चोट आई। इस बात से भी इंकार किया कि प्रहलाद पांडे बचाने आया तो उनको राकेश ने कुल्हाड़ी मारी सिर में लगकर खून निकल आया। इस बात से भी इंकार किया कि उन्हें पिताजी सोहनसिह तथा सीताराम, दीमान सिह ने बचाया। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढकर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने ऐसी रिपोर्ट व कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका, प्रहलाद तथा मुन्नीबाई का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है तथा अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रही है।

08— अभियोजन साक्षी मुन्नीबाई अ०सा०२ एवं प्रहलाद अ०सा०३ ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानते हैं। विनीता एवं आरोपीगण के बीच बातचीत हो गई थी। आरोपीगण को जब घर समझाने बुलाया तो तीनो आरोपीगण गाली गलौच करने लगे गाली देन से मना किया तो आरोपीगण से धक्का मुक्की में हमें चोटे आ गई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने विनीता को कुल्हाडी से मारा था। इस प्रकार अभियोजन साक्षी फरियादी विनीता एवं आहत मुन्नीबाई और प्रहलाद ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया बिन्क साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में आरोपीगण से गाली गलौच एवं धक्का मुक्की में चोटे आना व्यक्त किया।

09— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के

आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19.05.2014 को दोपहर करीब 2 बजे ग्राम मढी अन्तर्गत थाना चंदेरी में सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादिया की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आपने या आप में से किसी ने फरियादिया एवं आहत प्रहलाद को असन एवं भेदन उपकरण जैसे कुल्हाडी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपी राकेश, जगदीश, पहलवान के विरुद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- **10** अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 11— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की कुल्हाडी, दो बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 12- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0